-51- 1.6

FORM II

(for projects other than linear projects)

Government of --UTTARAKHAND

Office of the district collector --NAINITAL

No. 2032/12-ZAC/2014 Dated 01-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MY CONCERN

in compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98(pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEf issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non –forest purposes, it ids certified that 10.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **KRISHI UTPADAN ANDI SAMITI HALDWANI** (name of user agency) for **MANDI EXTENSION** (purpose for diversion of forest land) in **NAINITAL** district falls within jurisdiction of **DHAULAKHERA** village(s) in **HALDWANI** tehsils.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 10.00 (Ten) hectares of forest land propose for diversion. Acopy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosrd as annexure ---1 to ---4

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the Fra have been carried out and that the have give their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of --- villages(s) is enclosed as annexure ---1

(d) the discussion and decisions on such proposal has taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present.

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(f) the rights of Primitive Tribal Gooups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have bee specifically safe guarded as per section 3(1) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

नैनीताल.

2.24

Annexure-1

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धौलाखेड़ा वि0ख0 हल्द्वानी,
तहसील–हल्द्वानी, जिला–नैनीताल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु (10 हे0 आरक्षित वन भूमि, –X– हे0 सिविल सोयम भूमि, –X– हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 10 हे0 वन भूमि का कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा, वि0 ख0 हल्द्वानी द्वारा दिनांक 07-08-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धौलाखेड़ा, वि0 ख0 हल्द्वानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 07-8-14	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)	प्रधान ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा विकास खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-2

प्रपत्र–23.1

दिनांक 07-08-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा, वि0 ख0 हल्द्वानी जिला नैनीताल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री हरक सिंह राठौर पुत्र श्री भगवान सिंह	[signature]
2	श्री संजय सोनकर पुत्र श्री ललित सोनकर	[signature]
3	श्री प्रकाश चन्द सिंह पुत्र श्री तेज सिंह	[signature]
4	श्री उदय सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री डुंगर सिंह	U.S. Negi
5	श्री विरेन्द नेगी पुत्र श्री खीम सिंह नेगी	[signature]
6	श्रीमती दीपा बिष्ट पत्नी श्री यशवन्त सिंह	Deepa
7	श्रीमती रेखा बिष्ट पत्नी श्री महेन्द सिंह	[signature]
8	श्रीमती हेमा तिवारी पत्नी श्री के0 के0 तिवारी	हेमा तिवारी
9	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री विशन लाल	मीना देवी
10	श्रीमती दीक्षा रावत पत्नी श्री राजीव रावत	[signature]
11	श्रीमती बीना कारकोटी पत्नी श्री चंदन सिंह	[signature]
12	श्री विक्रम सिंह बिष्ट पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह	[signature]

ह0 /– [signature]

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा
विकास खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

ग्राम प्रधान

Annexure-3

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नामः— कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी (नैनीताल)

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के पास वन विभाग के प्लाट संख्या 150 में 10 हे0 आरक्षित वन भूमि, —X— हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि —X— हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 10 हे0 वन भूमि) का प्रस्ताव कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हल्द्वानी) की दिनांक 30.08.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हरवीर सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री हरवीर सिंह, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी	अध्यक्ष
2— श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी	सदस्य
3— श्री के0 आर टम्टा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हल्द्वानी	सदस्य / सचिव
4— श्री तारा सिंह नेगी, बी0डी0सी0 क्षेत्र तल्ली हल्द्वानी	सदस्य

ज्येष्ठ उप प्रमुख
विकास खण्ड, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी उप प्रभाग
त० के० वन प्रभाग, हल्द्वानी

के० आर० टम्टा
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना हेतु 10 हे0 वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशांसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 10 हे0 वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील– हल्द्वानी,
जनपद– नैनीताल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील– हल्द्वानी,
जनपद– नैनीताल।

प्रपत्र–23.3

Annexure-4

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद– नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 10 हे0 वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति हल्द्वानी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील

तहसीलदार
हल्द्वानी

उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
नैनीताल

2.24

प्रपत्र-21

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धौलाखेड़ा वि0ख0 हल्द्वानी,
तहसील–हल्द्वानी, जिला–नैनीताल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु (10 हे0 आरक्षित वन भूमि, –X– हे0 सिविल सोयम भूमि, –X– हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 10 हे0 वन भूमि का कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा, वि0 ख0 हल्द्वानी द्वारा दिनांक 07-08-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धौलाखेड़ा, वि0 ख0 हल्द्वानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 07-8-14
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पं० धौलाखेड़ा
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

ह0/–
ग्राम प्रधान,
प्रधान,
ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा
विकास खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

दिनांक 07-08-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा, वि0 ख0 हल्द्वानी जिला नैनीताल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री हरक सिंह राठौर पुत्र श्री भगवान सिंह	[signature]
2	श्री संजय सोनकर पुत्र श्री ललित सोनकर	[signature]
3.	श्री प्रकाश चन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह	YK [signature]
4	श्री उदय सिंह नेगी पुत्र स्व० श्री कुंवर सिंह	उदय [signature]
5	श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री खीम सिंह नेगी	[signature]
6	श्रीमती दीपा बिष्ट पत्नी श्री यशवन्त सिंह	Deepa
7	श्रीमती रेखा बिष्ट पत्नी श्री महेन्द्र सिंह	Rekha.
8	श्रीमती हेमा तिवारी पत्नी श्री के० पी० तिवारी	हेमा तिवारी
9	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री किशन लाल	मीना देवी
10	श्रीमती दीक्षा रावत पत्नी श्री राजीव रावत	Diksha
11	श्रीमती बीना नगरकोटी पत्नी श्री चंदन सिंह	Beena
12	श्री विक्रम सिंह बिष्ट पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह	[signature]

ह0 / – [signature]

प्रधान,
ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा
विकास खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

ग्राम प्रधान